

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2018 -21

Dated: 7th Jan., 2019


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 05-73-67 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, B&R Division, HPPWD, Chopal, District Shimla for Construction of road Bijmal to Halau via Shalla G.P. Halau (purposed for diversion of forest land) in jurisdiction of village(s), Reyoshali, Bujmal, Aar, Shalla and D.P.F. Sawara, Tehsil Nerwa, District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 05-73-67 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 17
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above


(Amit Kashyan)
District Collector

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Amit Kashyap, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 24.12.2018 at 11.30 A.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Reyoshali, Bujmal, Aar, Shullan and D.P.F. Sawara forest area(s) 05-73-67 hectare under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Chopal were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	
		OR	
		OR	

As informed by SDO (Civil) Chopal, no application was received from Gram Sabha claiming right in 05-73-67 hectare forest area.

Place: Shimla

Date: 24.12.2018


Deputy Commissioner-Cum- Chairman
 Shimla District (H.P.)

**PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE
HELD ON 24.12.2018 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI AMIT KASHYAP, IAS,
DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.**

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was conveyed on 24.12.2018 under the Chairmanship of Shri Amit Kashyap, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The following were present.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Smt. Prabha Rajeev | Addl. District Magistrate (L&D) |
| 2. Dr. Nitin Patil | DFD, Theog |
| 3. Sh. Ashok Negi | DFD, Rampur |
| 4. Sh. Jangvir Singh Dupta | DFD, Chopal |
| 5. Smt. Neelam Saraik | Nominated Member |
| 6. Smt. Anita Kimta | Nominated Member |

At the outset the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM(L&D) apprised that total 8 cases including 7 from the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees under the FCA, 1980 and 1 case from the Divisional Forest Officer, Theog have been received. Thereafter, the cases were placed before the District Level Forest Rights Committee and after detailed discussion following decision were taken:


- I. The following cases which have been approved by the Sub-Divisional Forest Rights Committees were approved which were complete in all respects:-
 1. C/o Police Post Building Sainj
 2. C/o Gau Sadan at Churat
 3. C/o Ghilar Koti Optua Aneor Khud Road
 4. C/o Kufar to Kanda Shilyar Gavan Sunna Bathal
 5. C/o Bijmal to Halau via Shallan Road
 6. C/o Taklech 100 KW HEP
 7. C/o Sub-Jail, Tehsil Rampur
- II. One case was received from the Divisional Forest Officer, Theog regarding C/o Link Road from Nagpuri to Shanti Ban Upper Nagpuri Tehsil Jubbal which was rejected by the DFD Theog on the following grounds:
 1. The User Agency of the project is silent about numbers of beneficiaries. *
 2. As per provisions of FRA the communities (general masses) as defined in the Act should be benefited.

3. The proposed Forest Land is Reserve Forest having 24 trees of different species and classes in it.

After discussion this case was approved by the committee subject to submission of the list of beneficiaries as required under the provision of FRA.

III. The DFO Kotgarh was not present in the meeting and he informed about his inability to attend the meeting on the eleventh hour which was viewed seriously by the chair. The Chairman gave directions that all the concerned DFO's must be present in the meeting in future.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.



**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**

No. SML-SR-(FRA)(287)/2020- 571
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla, District Shimla, H.P.

Dated: the Shimla, 9th September, 2020.

To

The Executive Engineer,
Chopal Division,
HPPWD, Chopal.

**Subject: Certificate regarding Forest Rights for the construction road
from Bijmal to Halau via Shallan G P Halau.**

Sir,

Please refer to your office letter No. PW-CHD-CB-FCA-Bijmal-
Halau/2020-5424 dated 5-9-2020 on the subject cited above.

In this connection, it is informed that the original proceedings of
Sub-Divisional Level Committee and Village Level Forest Rights Committee
are to be retained in this office for office record. However, attested copies of
proceedings of Sub Division Level Forest Rights Committee and Village Level
Forest Rights Committee are enclosed herewith for further necessary action.

Encls. As above

Yours faithfully,


Addl. District Magistrate (L&O),
Shimla

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) CHOPAL DISTRICT SHIMLA (H P)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under.
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Right) Act-2006

A meeting of the Sub-Divisional Forest Right Committee of Chopal Sub-Division, constituted under FR A-2006 was held under the chairmanship of Sh.Mukesh Repaswal (IAS) SDO(c) Chopal on 29-10-2018 at SDM Office Chopal .The application claiming rights in revenue villages Reyoshali , Bijmal , Aar , Shallan & D.P.F. Sawara.

The Executive Engineer B&R Division. H P.P.W.D Chopal forwarded by user agency, duly processed and recommended by forest right committees & Gram Sabha Gram Panchayat Bijmal & Halau was discussed to consider the same for recommendation to the District Level Forest Right committee.

1. No individual or community claims have been received by the village level Forest Right Committees of villages Reyoshali , Bijmal , Aar , Shallan & D.P.F. Sawara, hence FRA certificate (NOC) can be issued to user agency.

2. PWD deptt. Have applied for FRA certificate (NOC) for construction of road Bijmal to Halau via Shallan proposed for diversion of 05-73-67 hectare of land under FCA-1980.

It is recommended that FRA certificate may be issued to PWD deptt. For construction of said road with following description of proposed land.

Sr. no.	Revenue Village	Gram Panchayat	Area of Forest Land
1	Reyoshali	Bijmal	00-76-91
2	Bijmal	-do-	00-83-11
3	Aar	-do-	01-74-70
4	Shallan	Halau	01-73-52
5	D.P.F. Sawara	-do-	00-65-43
		TOTEL	05-73-67

Place: - Chopal

Date: - 29-10-2018

No 9452 dt 16/11/18

From PWD Chopal.

Sub-Divisional Officer (civil)
Cum-Chairperson Sub-Division
Level Committee, Sub Division Chopal

Copy Attached

Amal
Addl. District Magistrate
SHIMLA

(13) - (18)

आज दिनांक 29-10-2018 को वन अधिकार समिति की उप-मण्डलस्तरीय बैठक श्री मुकेश रेपसवाल उप मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिस में वन अधिकार समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री सुरिन्दर कुमार विन्टा तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय चौपाल ।
2. श्री राजेश रान्टा पंचायत समिति सदस्य कुपवी वाई
3. श्री नरायण शर्मा पंचायत समिति सदस्य सरी-जावग छमरोग वाई
4. श्री प्रेम चन्द उप मण्डल कार्यालय कानून गो

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने बारे धन्यवाद किया, तत्पश्चात ग्रामीण वन अधिकार समितियों द्वारा पारित विभिन्न योजनाओं को समिति के समक्ष रखा गया जिन का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

1. सड़क निर्माण विजमल से हलाऊ वाया शलन :- ग्रामीण वन अधिकार समिति विजमल, रेओशाली, आर, जंगल में मै. सावडाव सलन ग्राम पंचायत विजमल व हलाऊ तहसील नेरुवा जिला शिमला से विजमल हलाऊ वाया शलन सड़क निर्माण के लिये वन भूमि को हस्तांत्रित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि यह सड़क ग्राम पंचायत विजमल के राजस्व गांव विजमल रेओशाली व आर तथा ग्राम पंचायत हलाऊ के राजस्व गांव शलन व जंगल में, मै सावडा से गुजरेगी तथा इस के लिये कुल रकवा 05-73-67 हैक्ट. वन भूमि का हस्तांत्रण किया जाएगा। उपरोक्त राजस्व गांव की वन अधिकार समिति व सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा से पारित अनापति पत्र नस्ति में संलग्न है तथा उपरोक्त सभी गांव में वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपमण्डल वन अधिकार समिति प्रस्ताव पारित करती है कि एक आर ए प्रमाण पत्र के लिए जिला वन अधिकार समिति को संस्तुति की जाये।

2. सड़क निर्माण बानीपुल से फावला :- ग्रामीण वन अधिकार समिति क्यारटुआ, जनोग, ईडा फावला व मान् ग्राम पंचायत खून्द नेवल तहसील नेरुवा जिला शिमला से बानीपुल से फावला सड़क निर्माण के लिए वन भूमि को हस्तांत्रित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण के अवलोकन से पाया कि यह सड़क राजस्व गांव क्यारटुआ, जनोग, ईडा, फावला व मान् से गुजरेगी तथा इस के लिए कुल रकवा 07-50-01 हैक्ट. वन भूमि का हस्तांत्रण किया जाएगा। उपरोक्त सभी राजस्व गांव की वन अधिकार समिति व सम्बन्धित ग्रामपंचायत व ग्राम सभा से पारित अनापति पत्र नस्ति में संलग्न है तथा उपरोक्त सभी राजस्व गांवों में वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उप-मण्डल वन अधिकार समिति प्रस्ताव पारित करती है कि FRA प्रमाण पत्र के लिए जिला वन अधिकार समिति को संस्तुति की जाए।

3. सड़क निर्माण कुफर से काण्डा :- ग्रामीण वन अधिकार समिति कुफर काण्डा हाथवी ग्राम पंचायत हलाऊ तहसील नेरुवा जिला शिमला से कुफर से काण्डा सड़क निर्माण के लिए वन भूमि को हस्तांत्रित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण के अवलोकन से पाया कि यह सड़क राजस्व गांव कुफर, काण्डा व हाथवी से गुजरेगी तथा इस के लिए कुल रकवा 02-48-65 हैक्ट. वन भूमि का हस्तांत्रण किया जाएगा। उपरोक्त सभी राजस्व गांव की

Copy Attached

[Signature]

Addl. District Magistrate
SHIMLA

वन अधिकार समिति व सम्बन्धित ग्रामपंचायत व ग्राम सभा से पारित अनापति पत्र नदित मे सलगन है तथा उपरोक्त सभी राजस्व गांवो में वन अधिकार अधिनियम के तहत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उप-मण्डल वन अधिकार समिति प्रस्ताव पारित करती है कि F.R.A प्रमाण पत्र के लिए जिला वन अधिकार समिति को संस्तुति की जाए।

4. मोहर सिंह पुत्र चौक निवासी जंगल गै.गौंचा के एफ.आर. ए.2006 के तहत जंगल मैहदुदा गौंचा में भूमि मिलने बारे:-

ग्रामीण वन अधिकार समिति नौंचा ग्राम पंचायत भराणू से श्री मोहर सिंह पुत्र चौक निवासी जंगल गौंचा का आवेदन पत्र F.R.A 2006 की धारा 3(1) के तहत उप-मण्डलीय वन अधिकार समिति को प्रस्तुत किया है इस में आवेदक ने भूमि खसरा नं. 235.233/1 कित्ता 2 रक्बा तादादी 0-70-11 हैक्ट (9-11) विघा पर वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दावा प्रस्तुत किया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया और समिति द्वारा अधिकार स्वीकृति के लिए अपात्र पाया गया, विस्तृत आदेश भिसल में सलगन है तथा उसकी एक प्रति प्राथी को भिजित की जा चुकी है।

~~उप-मण्डल अधिकारी (ना0)~~

~~एवं अध्यक्ष उप मण्डल वन अधिकार समिति~~

~~चौपाल जिला शिमला हि.प~~

Copy Attached

(Signature)

Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा रेवशाली प्रविजमल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 01/08/018

वन अधिकार समिति ग्राम सभा रेवशाली (विलगल) की बैठक आज दिनांक 01/08/018

को 11.30 बजे, स्थान रेवशाली में श्री/श्रीमति सचिव

की अध्यक्षता में की गई जिसमें विलगल और शिलन हलाम गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपेक्षित राजस्व

गांव जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें H.P.W.D विभाग द्वारा विलगल हलाम के

निर्माण के लिए 0-76.9 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्योरा

1. इस वन अधिकार समिति के पास कोई भी आवेदन वन अधिकार का
2. के लिए प्राप्त नहीं हुआ है

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

1. उपरिक्त
2. —

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान रेवशाली
दिनांक 01/8/018

अधीकृत हस्ताक्षर achim
ग्राम सभा अध्यक्ष

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Copy Attached

Addl. District Magistrate
SHIMLA

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा... विजमल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक... 11/8/018

संख्या ①

ग्रामवासियों समिति ग्राम सभा विजमल की बैठक आज दिनांक 01/8/018
// बजे, स्थान विजमल में श्री/श्रीमति विजमल विजमल गांव के अनुसूचित जनजाति
की अध्यक्षता में की गई जिसमें विजमल और अलग हेलम गांव के अनुसूचित जनजाति
अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 34/19/18
31/9 जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPWD विभाग द्वारा विजमल हेलम के
लिए 0-25-4 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
गांववासीयों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

* पात्र गांव वासी का नाम अमर वन अधिकार समिति के पास जंगल का नाम कोर वन अधिकार का प्रकार अवेदन वन अधिकार
लिखित आवेदन नहीं हुआ है श्री अवेदन वन अधिकार
नियमानुसार वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हनु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

जंगल में से निम्न लिखित, पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

* पात्र गांव वासी का नाम 34/19/18
नियमानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।
या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

ग्रामवासियों विजमल अधीकृत हस्ताक्षर Prasham
दिनांक 11/8/18 ग्राम सभा वन अधिकार समिति
बान

* ग्रामवासी/ग्रामवासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।
* गोर्डेट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है

Copd A. Hestael
SHIMLA
Addl. District Magistrate

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा आर (विजगल)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 02

दिनांक 1/8/18

वन अधिकार समिति ग्राम सभा (आर) आर विजगल की बैठक आज दिनांक 01/8/18
को 11 बजे स्थान आर में श्री/श्रीमति नरामो सिंह
की अध्यक्षता में की गई जिसमें विजगल गाव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उत्तर राजस्थान
11/91 जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा विजगल क्षेत्रों के
निर्माण के लिए 2470 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०स०	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1	<u>इस वन अधिकार समिति के पास कोई भी आवेदन वन अधिकारों के लिए</u>		
2	<u>किसी दावा नहीं हुआ है।</u>		

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०स०	* पात्र गांव वासी का नाम
1	<u>उपरोक्त</u>
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों का निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान आर विजगल
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा Shankar
अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

- * ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में ग्राम अधिकारों दावे के लिए आवेदन किया है।
- ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Copy Attested

[Signature]

Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजातों और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की संरक्षा) अधिनियम, 2002

वन अधिकार समिति
ग्राम समा... शिलम
प्रतिष्ठित प्रस्ताव

दिनांक 15/08/18

प्रस्ताव संख्या (3)

वन अधिकार समिति ग्राम समा शिलम (एल/ठ) की बैठक आज दिनांक 15/08/18
को 11:00 बजे आयोजित की गई थी। मान दास
को अध्यक्षता में की गई जिसमें शिलम के वन अधिकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति थी।
उपरोक्त बैठक में वन अधिकारों की संरक्षा अधिनियम 2002 के अन्तर्गत DPI सावड़ा, शिलम
के क्षेत्र में (जिसमें MHPWD क्षेत्र भी शामिल है) विजयभल-एल/ठ का शिलम से सड़क के
बादल वन भूमि के उपयोग को सुरक्षित रखना है। वन अधिकारों के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग को सुरक्षित रखना है। वन अधिकारों के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को सुरक्षित रखना है।
उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति द्वारा निम्न निश्चित किया गया -

इस वन अधिकार समिति के पास जोड़ें की योग्यता के लिए
घाट नदी हुआ है।

उपरोक्त

DPI सावड़ा,
शिलम
दिनांक 15/08/18

अधीनस्थ अधिकारी
मान दास

वन अधिकार समिति
ग्राम शिलम

Copied Attached

Amr
Addl. District Magistrate
SHIMLA

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा (Lhasi) हेलम
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 15/08/18

9

अधिकार समिति ग्राम सभा (Lhasi) हेलम की बैठक आज दिनांक 15/8/18

11 बजे, स्थान (Lhasi) में श्री/श्रीमति (श्रीमती) गांव के अनुसूचित जनजाति

की अध्यक्षता में की गई जिसमें (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा विक्रम हेलम हेलम

अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत P.P. Hhasi, 212 ल
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें HPPWD विभाग द्वारा विक्रम हेलम हेलम
के लिए 2.32.95 कटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हतू प्राप्त
ग्रामवासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल वन नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1	श्रीमती (Lhasi) की पत्नी काई भी	काई भी	आवेदन हतू वन अधिकार

अनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों का पारत करने हतू ग्राम सभा से इसकी
कार्रवाही करती है।

अन्य से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
1	अज्ञात	निरस्त करने की सिफारिश

अनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

(Lhasi) जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

ग्राम (Lhasi) दिनांक 15/08/18

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता (Dayta Ram)
ग्राम सभा (Lhasi)

ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

COPY ATTESTED
Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा विशाल
प्रतिलिपी प्रस्तुत

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 15/08/18

ग्राम सभा विशाल की बैठक आज दिनांक 15/08/18 को 11.30 बजे स्थान विशाल में श्री/ श्रीमति श्री. राजेश की अध्यक्षता में की गई जिसमें विशाल गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 3409 जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें APLD विभाग द्वारा विशाल के निर्माण के लिए 076-91 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र.सं. *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्योम
3409-1 श्री. राजेश विशाल 3409 श्री. राजेश

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को पारित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-


क्र.सं. *पात्र गांव वासी का नाम
3409-2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 15/08/18



Copy Attached

Amal

Adl. District Magistrate SHIMLA

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा
Chashamm

ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 20

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा... विष्णु

प्रतिलिपि प्रस्ताव

संख्या... 2

दिनांक... 15/08/18

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा... विष्णु की बैठक
दिनांक... 15/8/2018 को... 11:30 बजे, स्थान... विष्णु
श्रीमति... वदना-यादव की अध्यक्षता में की गई जिसमें... विष्णु
विष्णु गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
के अन्तर्गत... 34 (1) (ब) (1) (ग) जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित
कारणों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें... H.P.P.W.D.* विष्णु
निर्माण के लिए... CP-83-11 हैक्टियर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्ताव

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन तथा उस पर विरहृत
उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति...
जंगल/वन क्षेत्र में... विष्णु के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार
पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे
उत्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

दिनांक... विष्णु
दिनांक... 15/08/2018

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि
उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Copy Attested

Signature

Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... (B.T.C.) विजयपुर
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या... 2

दिनांक... 15/08/18

ग्राम सभा... विजयपुर की बैठक आज दिनांक 15/08/18 को 11.30 बजे स्थान विजयपुर में श्री/श्रीमति ल.बी.बी. चौधरी की अध्यक्षता में की गई जिसमें विजयपुर एन.डी. गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 24.09.18 को जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें H.P.W.D विभाग द्वारा विजयपुर एन.डी. के निर्माण के लिए 0831 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1	श्री राम लाल के बाल कोई श्री	श्री 2405 वन	आधिकार समिति के वन
2	श्री (विजयपुर) से	पाल नदी दुआ है।	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -



क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	श्री प्रदीप
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान... विजयपुर
दिनांक... 15/08/18
अधीकृत हस्ताक्षर...
ग्राम सभा...

ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Copy Attached

Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा..... हलाऊ (शिल्लग)
प्रतिलिपि प्रस्तावदिनांक..... 19/08/18दस्ताव संख्या..... 03ग्राम सभा हलाऊ की बैठक आज दिनांक 19/08/18 को 11:00
बजे स्थान हलाऊ में श्री/श्रीमति जसो देव की अध्यक्षता मेंहो गई जिसमें शिल्लग गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत DF सावड़ी, शिल्लग जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें शिल्लग विभाग द्वारा शिल्लग शिक के निर्माण के लिए 2.5 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०सं०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>इस ग्राम सभा के पास कोई भी आवेदन नग ठमड़ा नार दावे के लिए नग</u>		
2	<u>ठमड़ा नार समिति शिल्लग से प्राप्त नहीं हुआ है।</u>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1 उपरोक्त

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआस्थान हलाऊदिनांक 19/08/18अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार हलाऊ के लिए
आवेदन किया है।** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।Coppy HalaUmap
Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.....(A.G.S.) (E.P.M.)
प्रतिलिपी प्रस्तुत

प्रस्ताव संख्या.....(2)

दिनांक 19/8/018

ग्राम सभा.....(E.P.M.) की बैठक आज दिनांक 19/8/018 को
बजे स्थान.....(E.P.M.) में श्री/ श्रीमति.....(A.S.) की अध्यक्षता में की
गई जिसमें.....(A.S.) गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....(D.P.C. A.G.S.) जंगल / वन
क्षेत्र में (जिसमें.....(N.P.D.) विभाग द्वारा.....(A.G.S.) के निर्माण के
लिए.....(A.S.) हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की
गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के
उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम*	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	सु वन अधिकार समिति के पास कोई भी आवेदन न		
2	अधिकार के लिए कोई दावा नहीं हुआ।		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को
प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम*
1	अधिकार
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार
कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....(E.P.M.)
दिनांक 19/8/018



हस्ताक्षर

दिनांक

प्रकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का
अनुमति दी जानी है।

Copy Attached

Anup

Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा विजमल (देवशाह)
विकास खण्ड चौपाल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 15/05/18

गणपूर्ति 152/302 /

प्रस्ताव संख्या 10

विषय रौंदक लौक निर्माण विभाग/संस्था को विजमल ब्लॉक व शिमला
(न.ए.क.) के निर्माण हेतु (देवशाह) विजमल जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा विजमल की बैठक आज दिनांक
15/05/18 को 11.00 बजे, स्थान विजमल की गई जिसमें 2090
H.P.P.D. विभाग/संस्था को अ.प्र.स. के निर्माण हेतु अ.प्र.स. वि.स.म.
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.76-94 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है। 0.76 91

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को विजमल ब्लॉक, एस.एस. निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा विजमल की सहमति दी जाती है।

Copy Attached

[Handwritten Signature]

Add. District Magistrate
SHIMLA

स्थान विजमल
दिनांक 15/05/18

Pardhan Secretary

Gram Panchayat Bijmal
Dev. Block Group
Dist. Shimla (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत विशमल
विकास खण्ड बौधाल जिला डि.म.का.॥ (डि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति वतीय जोहाम

दिनांक 15/08/2018

गणपूर्ति 152 / 302

प्रस्ताव संख्या 10

विषय 8050 लोक निर्माण विभाग/संस्था को विशमल के विकास
के निर्माण हेतु मो.प्र. भा.प. वि.म.का. के विकास
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित ए.ए. 83-11 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत विशमल की बैठक आज
दिनांक 15/8/018 को 11.00 बजे, स्थान विशमल
में की गई, जिसमें 8050 लोक निर्माण विभाग/संस्था
को 3400 लोक निर्माण के निर्माण हेतु 3400
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 03-34-72 हैक्टयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पुरे
तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के
लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्त नही है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा
की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा
प्रस्तावित 03-34-72 हैक्टयर वन भूमि को विशमल के विकास
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा विशमल की सहमति दी जाती
है।

स्थान विशमल
दिनांक 15/08/2018

विशमल
ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विशमल
Dist. Shimla (H.P.)

Copy Attached
Swag
Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा विजमल (आर)
विकास खण्ड वीवाल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 15-08-2018

प्रस्ताव संख्या 152 / 302

प्रस्ताव संख्या 10

विभाग/संस्था का विजमल एलाक़ात) 2 खण्ड
सड़क के निर्माण हेतु 2.12.2110 विजमल 312
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 03-34-72 हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा विजमल की बैठक आज दिनांक
15-08-18 को 11.10.0 बजे स्थान विजमल
में हुई जिसमें हि0 प्र लोक निर्माण विभाग/संस्था को उपरोक्त विजमल-एला
03-34-72 हेक्टेयर वन भूमि के निर्माण हेतु उपरोक्त जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
01-34-70 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से
परिचित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी
कार्रवाई पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 03-34-72 हेक्टेयर वन भूमि को विजमल एलाक़ात) 2 खण्ड
21 खण्ड 2134 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा विजमल की
सहमति दी जाती है।

स्थान विजमल
दिनांक 15/08/18

अधीकृत [Signature]
ग्राम सभा
ग्राम विजमल
विजमल एलाक़ात) 2 खण्ड

Copy Attached

[Signature]
Addl. District Magistrate
SHIMLA

ग्राम सभा हलाक (शिला)
विकास खण्ड मौमल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 19/08/18

संख्या 168 / 304

प्रस्ताव संख्या 03

विषय दि. प्र. लो. क. निर्माण विभाग/संस्था को लि. अ. ग. ल. - हलाक जिला
शिला सड़क के निर्माण हेतु D.P.P. 24431, शिला
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 02-38-95 हेक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु। 01-73-52

ग्राम सभा हलाक की एक अंगणिका
19/08/18 का 11100 वर्ग मी. स्थान हलाक में
की गई जिसमें दि. प्र. लो. क. निर्माण विभाग/संस्था को 34431
के निर्माण हेतु D.P.P. 24431, शिला जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
02-38-95 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सार्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुरूपित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह निर्णय किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी कार्यवाही पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 02-38-95 हेक्टेयर वन भूमि को लि. अ. ग. ल. - हलाक जिला शिला सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा हलाक की सहमति दी जाती है।

स्थान हलाक
दिनांक 19/08/18



PRADHAN SECRETARY
DEVELOPMENT BLOCK OFFICE
SHIMLA (M.P.)

Copy Attached

Juan
Addl. District Magistrate
SHIMLA

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत..... हलाम (41951)
विकास खण्ड..... शिमला जिला..... शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक..... 19/8/18

अध्यक्षता श्री/श्रीमति.....

प्रस्ताव संख्या..... 03

गणपूर्ति..... 168 / 304

विषय: हैक्टोर वन भूमि विभाग/संस्था को विस्तृत हलाम
के निर्माण हेतु D.P.F. 41951
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित..... 02-28-95 हैक्टोर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत..... हलाम की बैठक आज
दिनांक..... 19/8/18 को..... बजे, स्थान..... हलाम
में की गई, जिसमें हैक्टोर वन भूमि विभाग/संस्था
को 3400 वर्ग मीटर के निर्माण हेतु D.P.F. 41951
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित..... हैक्टोर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय दिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ते नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित हैक्टोर वन भूमि को 02-28-95 00-65-43 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा..... विस्तृत हलाम की सहमति दी जाती है।

स्थान..... हलाम
दिनांक..... 19/8/18

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत..... हलाम
DEV. BLOCK SHIMLA

Copy Attached
Shimla
Addl. District Magistrate
SHIMLA



कार्यालय ग्राम पंचायत बिजमल

विकासखण्ड-चौपाल, तह0-चौपाल, जिला-शिमला (हि0प्र0)

प्रधान:
श्री मनोज कुमार
मो0:- 9805678878

उप-प्रधान:
श्री विरेन्द्र सिंह
मो0:- 88949-14550

सचिव:
श्री मोहम दीन
मो0:- 98057-17899

आज दिनांक 15-8-2022

बैठक ग्राम सभा की बैठक प्रधान/उप प्रधान मनोज कुमार की अध्यक्षता सम्पन्न हुई जिसमें 70/350 सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक में निम्नलिखित विषय पर चर्चा/कार्यवाही अमल में लाई गई।

- वार्ड सदस्य:-
- श्री मती सुबदा देवी
- श्री मती श्यामा देवी
- श्री मती सैना देवी
- श्री नवीन कुमार
- श्री रघुवीर सिंह

प्रस्ताव संख्या — 15

दिनांक

विषय निर्माण मोटर मार्ग बिजमल से हलाऊ वरु

यह कि ग्राम सभा की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि बिजमल से हलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए आकरक है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम पंचायत बिजमल व ग्राम पंचायत हलाऊ के कमरा: बिजमल, पहशाली, आरु, व हलाऊ पंचायत के शालन ग्राम सावड़ा ग्राम हलाऊ लाभान्वित हो लेंगे। प्रस्ताव पर चर्चा की गई चर्चा उपरान्त प्रस्ताव पार हो रहा है।

अतः ग्राम सभा अपने प्रस्ताव के माध्यम से आधी शासी अभिभव हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग से आवृत्त है कि उपरोक्त मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाय ताकि लंबे मोटर मार्ग से लाभान्वित हो सकें प्रस्ताव पास है व स्वीकार है।

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT BIJMAL
DEV. BLOCK CHOPAL, DISTT. SHIMLA

सचिव
ग्राम पंचायत बिजमल,
वि0 ख0 चौपाल,
जिला शिमला हि0 प्र0

आज दिनांक 01-08-2018 को वन अधिकारी समिति हालन को मासिक वेल्थ टैक्स वॉल्यूमिटर विभागीय बैठक व वन कौटवी अध्यक्ष श्यामसिंह काल्या को अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सभी ग्राम वार्ड उपस्थित थे जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मती से पास किया गया कि जिसमें MPWD विभाग से विजय से हलाक रोड का निर्माण किया जाना है जिसमें वन विभाग अधिकारी समिति को कोई एतराज नहीं है इस सड़क के बनाने से इन वरदराज क्षेत्रों की पंचायतों को लाभ मिलेगा व इस सड़क के बनाने से वन अधिकारी समिति के पास कोई भी आवेदन अधिकार दाव के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं।

	नाम व पता	हस्ताक्षर
(1)	लाधक राम S/O धीरजूराम	
(2)	राजेन्द्र सिंह S/O लाधक राम	
(3)	गिरेन्द्र सिंह S/O अगत राम	
(4)	मोहन लाल S/O धनी राम	
(5)	गोपीबहा S/O गिरेन्द्र सिंह	
(6)	शान सिंह S/O धनी राम	
(7)	धनी राम S/O चक्रान सिंह	
(8)	भीम सिंह S/O गिरेन्द्र सिंह	
(9)	रती राम S/O माऊ राम	
(10)	पंकु सिंह S/O धनी राम	
(11)	विक्रम S/O चंगड	
(12)	अगत राम S/O चंगड	
(13)	इन्द्र सिंह S/O सुख राम	
(14)	जगत राम S/O सुख राम	
(15)		

	नाम व पता		
(15)	बुध सिंह 50	साधू राठ	बुध सिंह
(16)	रवी राठ 50	साधू राठ	रवी राठ
(17)	रामण सिंह 50	किन्दरी सिंह	रामण सिंह
(18)	मणिमा राम 50	चिन्मय	मणिमा राम
(19)	निका राठ 50	किन्दर सिंह	निका राठ
(20)	गुणक सिंह 50	कुम्हार राठ	गुणक सिंह
(21)	सोहन सिंह 50	कांठी राठ	सोहन सिंह
(22)	अगर राठ 50	कदरी राठ	अगर राठ
(23)	किरण राठ 50	नाथू राठ	किरण राठ
(24)	दिनेश कुमार 50	अगर राठ	दिनेश कुमार
(25)	रमेश कुमार 50	खूँसा राठ	रमेश कुमार
(26)	दिनेश कुमार 50	बुध सिंह	दिनेश कुमार
(27)	विपी राठ 50	देवीपारक	विपी राठ
(28)	रमेश 50	जमाल राठ	रमेश
(29)	नरामण सिंह 50	जमाल राठ	नरामण सिंह
(30)	अपानी सिंह 50	अपानी राठ	अपानी सिंह
(31)	अगर राठ 50	अपानी राठ	अगर राठ
(32)	नेत्र सिंह 50	दरिया राठ	नेत्र सिंह
(33)	शोक राठ 50	सिद्धिपारक	शोक राठ
(34)	किन्दर सिंह 50	शोक राठ	किन्दर सिंह
(35)	दास सिंह 50	दरिया राठ	दास सिंह
(36)	बेदीपारक 50	खूँसा राठ	बेदीपारक
(37)	किर सिंह 50	नाथू राठ	किर सिंह
(38)	पदम सिंह 50	नाथू राठ	पदम सिंह
(39)	पिंज राठ 50	कंली लाल	पिंज राठ
(40)	राम सिंह 50	अपानी	राम सिंह
(41)	विमल 50	खान सिंह	विमल
(42)	सुरेश कुमार 50	खान सिंह	सुरेश कुमार


अध्यक्ष
 वन अधिकार समिति
 नैऋत, विना हिमाल, हि 0 प्र०

Kajal Ram

वन समीची विजमल

आज दिनांक 01/08/018 को विजमल वन अधिकार समीची की मासिक बैठक प्रधान की दिग्देश - चौहान कि अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न विषय पर चर्चा की गई

कि बैठक में सभी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि M P W D द्वारा विजमल से हलाक सदस्य का नामांकन किया जाया है उससे वन से विजमल वन अधिकार समीची को कोई भी पैसा राज नहीं है और नही ही वन अधिकार समीची को पाल कोई भी आवेदन अधिकार समीची लिए प्राप्त नहीं हुआ है

①	विनायक विमोह S10 रतीया राम जा० विजमल Po विजमल	veenad
②	मनोज कुमार S10 पद्म सिंह	M Dante
③	वीणी राम S10 साधी राम	
④	सुरेश S10 बालू राम	Suresh
⑤	रोशन S10 हंगी राम	वैशान
⑥	जय विश्वाम S10 वन्ची राम	Jhawham

7

बम सिंह S10 दशरथ राम

बम सिंह

8

रणवीर S10 मेहर सिंह

9

नवीन कुमार S10 कैवल राम

Nabin Singh

10

रोहित S10 जगजीवन

Rohit Kumar

11

मान सिंह S10 बहरी राम

12

ओम प्रकाश S10 लखी राम

O P Chauhan

13

काना सिंह S10 बलिया

KANA RAM

14

बलवीर S10 रण सिंह

Balveer

15

अजय सिंह S10 किरपा राम

अजय सिंह

16

गोपाल S10 गाजीया

17

मगत राम S10 बेलू राम

18

रमेश कुमार S10 रती राम

Ramesh

19

लायक राम S10 श्रीला राम

लायक राम

20

जय सिंह S10 जोवा राम

Jai Singh

21

पवन कुमार S10 माधु राम

PAWAN

22

किरपा राम S10 जोवा राम

किरपा

23

कैवल राम S10 गोपीया राम

कैवल राम

24

सुरेन्द्र सिंह S10 शोप सिंह

Surender